राजस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975

चैत्र 10, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1224/सत्रह-वि-1—40-75

लखनऊ, 31 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 31 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

घोषणा

2—एतद्द्वारा, यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये बनाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 1 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) यह अधिनियम 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होगा।"

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि में, कोई व्यक्ति, उपधारा (3), (4) और (5) में स्पष्टतया की गई व्यवस्था के सिवाय, किसी शहरी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं करेगा।"

No. 1224(2)/XVII-V-1—40-75

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhiktam Sampatti Seema (Antaran Par Asthai Nirbandhan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 31, 1975 :

THE UTTAR PRADESH CEILING ON PROPERTY (TEMPORARY RESTRICTIONS ON TRANSFER) (AMENDMENT) ACT, 1975

[UTTAR PRADESH ACT No. 15 of 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) (Amendment) Act, 1975.

Declaration. 2. It is hereby declared that this Act is being made to give effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (*b*) and (*c*) of Article 39 of the Constitution.

Amendment of section 1 of U. P. Act 36 of 1972. 3. In section 1 of the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3) This Act shall expire on December 31, 1975."

Amendment of section 3. 4. In section 3 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) During the period of operation of this Act, no person shall transfer any urban property, save as expressly provided in sub-sections (3), (4) and (5)."

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।